नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०)-खण्ड– iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के लेखों का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के प्रधान व कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

1) प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति अंजू	01.04.2024 से 31.03.2025

2) कार्यकारी अधिकारी :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति वर्षा चौधरी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र0 सं0	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि ₹ (लाखों में)
1	6.2	सावधिक निवेश की परिपक्वता पर बैंक द्वारा कम ब्याज प्रदान करना	1.48
2	6.4	पेंशन एवं उपदान निधि में गलत हस्तांतरण	66.69
3	8 (क)	अनुदानों का उपयोग न करना	476.36

4	8 (ख)	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	386.46
5	9	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय	29.05
6	10	दिनांक 31.03.25 तक वसूली हेतु शेष राशियों की वसूली न करना	434.86
7	10.1(i)	गृहकर की बकाया राशि पर नियमानुसार अधिभार (Surcharge) न लगाने के कारण की वित्तीय हानि	38.31
8	10.2(ii)	दुकानें खाली करने / छोड़ने वाले दुकानदारों से किराये की शेष बची राशि की वसूली न करना	6.58
9	11.1	सफाई ठेका राशि में गलत तरीके से वृद्धि करने के कारण सफाई संविदाकार को अधिक एवं गलत भुगतान	1.56
10	11.2	सफाई संविदाकार को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना ई-टेंडरिंग किए सफाई का ठेका आबंटित करना	41.81
11	12	इलेक्ट्रिकल पोल्स ब्रेकेटस का अनावश्यक क्रय एवं अपव्यय	1.14
12	13	निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में निर्धारित प्रतिशतता से अधिक के विचलन होने के बावजूद संशोधित प्राकलन तैयार न करके सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न करना	5.31
13	13.3	तकनीकी स्वीकृति के बगैर निर्माण कार्यों का निष्पादन	36.30
14	13.4	प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर के निर्माण कार्यों का निष्पादन	28.39
15	16	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार रजिस्टर के रख-रखाव हेतु अनुचित एवं गलत भुगतान	1.62

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-"क"** पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करना अत्यंत चिन्ताजनक है। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के प्रतियुत्तर प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 698 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या– 403 दिनांक 03.07.25 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि स्टाफ की कमी के कारण गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पैरों के प्रतियुत्तर तैयार नहीं किये जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्यवाही सुनिश्चित करें, तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन/निपटारा सम्भव हो सके ।

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के लेखों अवधि 1.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19.06.2025 से 05.07.2025 तक नगर परिषद कार्यालय, मैहतपुर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	3/2025	03/2025

अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध कार्यवाही गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹27000 आँका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर से सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या -711 दिनांक 02.07.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया । कार्यकारी

अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पंजाब नेशनल बैंक शाखा मैहतपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 083909 दिनांक 04.07.2025 द्वारा निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा विभाग, शिमला -9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट - (क - 1)** पर दिया गया है।

4 **(I) वित्तीय विवरणियां:-**

नगर परिषद/ नगर पंचायत अधिनियम -1994 के अंतर्गत नगर परिषद/नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा संख्या 27.4 के अनुसार नगर पंचायत/नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक है। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-697 दिनांक 28.06.25 द्वारा अनुरोध किया गया था। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या 403 दिनांक 03.07.25 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि कार्यालय में लेखाकार का पद रिक्त होने के कारण वित्तीय विवरणियां तैयार नहीं की जा सकी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) तुलन पत्र (Balance Sheet)
(ii) आय-व्यय विवरणी (Income and Expenditure statement)
(iii) नकदी प्रवाह विवरणी (Statement of Cash Flow)
(iv) प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt and Payment Statement)
(v) लेखों पर टिप्पणी (Notes to accounts)
(vi) वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial performance indicator)

(II) दोहरा लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 दिनांक 07.09.2009 और UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने सभी लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से बनायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा खातों का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार

पर बनाया गया था। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 696 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या 403 दिनांक 03.07.25 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि कार्यालय में लेखाकार का पद रिक्त होने के कारण दोहरा लेखा पद्धति लागू नहीं की जा सकी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 **वितीय स्थिति :-**

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट - (ख)** पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025							
शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज(₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वयं स्त्रोत	5241774.87	5086503	1906257.72	12234535.59	3385508	0	8849027.59
अनुदान	55910528.60	30371970	0	86282498.60	38646267	0	47636231.60
योग	**61152303.47**	**35458473**	**1906257.72**	**98517034.19**	**42031775**	**0**	**56485259.19**

(क) दिनांक 31-03-2025 को नगर परिषद मैहतपुर- बसदेहड़ा की मुख्य रोकड़ बही में विभिन्न बैंकों के जमा शेष राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। जिसका विवरण परिशिष्ट –'ख-1' पर भी दिया गया है।

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	50100232228234	एच. डी. एफ. सी. मैहतपुर	14869743
2	50100658808580	एच. डी. एफ. सी. मैहतपुर	23430916.64
3	50100028120340	एच. डी. एफ. सी. मैहतपुर	134923.37
4	55100244785	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया मैहतपुर	16360993.64

5	20079019863	के. सी. सी. बी. मैहतपुर	1239399.80
6	392302010009687	यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया मैहतपुर	208132
7	786000100166500	पी. एन. बी. मैहतपुर	117670.74
8	12550110043059 (SNA PMAY)	यू० को० बैंक मैहतपुर	0
9	खाता उल्लेखित नहीं है।	पी. एल. ए. ऊना, डाकघर ऊना	481
		योग	**56362260.19**

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

नगर परिषद मैहतपुर बसदेहड़ा की दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी निम्नलिखित प्रकार से है। जिसका विवरण परिशिष्ट –'ख-2' पर भी दिया गया है।

दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष							**56485259.19**
घटाव:-	**चैक बैंक में वसूली हेतु भेजे गये लेकिन दिनांक 31.03.25 तक बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान नहीं किया गया**						**61752**
	क्र० सं०	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशि (₹)**	**बैंक का नाम**	**क्रेडिट प्रदान करने की तिथि**	
	1	109039	24.03.25	19600	के० सी० सी० बी० मैहतपुर	02.04.25	
	2	758589	29.03.25	16232	एच० डी० एफ० सी० मैहतपुर	05.04.25	
	3	652889	29.03.25	6480	एच० डी० एफ० सी० मैहतपुर	05.04.25	
	4	000077	29.03.25	19440	एच० डी० एफ० सी० मैहतपुर	10.04.25	
			योग	**61752**			

घटाव:-	हस्तगत रोकड़ **(जिसको दिनांक 03.04.2025 को बैंक में जमा करवाया गया)**	**61247**
दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न बैंकों के अनुसार अंतिम शेष		**56362260.19**

(ग) पी० एल० ए० ऊना, डाकघर ऊना में दिनांक 31.03.25 को ₹481 शेष राशि दर्शाई गई है परन्तु उक्त खाते की पास बुक तथा डाकघर का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खाते की पासबुक आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 **पैंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति:-**

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा द्वारा यथा **परिशिष्ट - (ग)** पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैंशन एव उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2024-25	10591355.50	9075440	1275740	20942535.50	1190177.83	19752357.67

दिनांक 31-03-2025 को बैंक में बचत खाता व सावधिक निवेश में जमा शेष राशि :-

क्र० सं०	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	0786000100173865	पी०एन०बी० मैहतपुर	1500138.67
2	सावधिक निवेश संख्या 902604298 के अन्तर्गत निवेशित राशि		11252219
3	सावधिक निवेश संख्या 50301065305540 के अन्तर्गत निवेशित राशि		7000000
		योग	**19752357.67**

6.1 **सावधिक निवेश:-**

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा द्वारा यथा **परिशिष्ट - (ग-1)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैंशन एवं उपदान निधि से दिनांक 31.03.2025 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	सावधिक निवेश संख्या	निवेश की तिथि	मूल निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
1	902604298/ 078600PU00054142	28.11.24	11252219	25.09.26	12727539	6.80 %	666 दिन	पी० एन० बी० मैहतपुर
2	50301065305540	08.11.24	7000000	08.10.27	8655817	7.35 %	35 माह	एच० डी० एफ० सी० मैहतपुर
		योग	**18252219**					

अतः उपरोक्त सावधि जमा के अंतर्गत निवेशित राशियों को निर्धारित समय पर भुनाया या पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 सावधिक निवेश की परिपक्वता पर बैंक द्वारा ₹1.48 लाख कम ब्याज प्रदान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर में पेंशन एवं उपदान निधि से पी. एन. बी. मैहतपुर में सावधिक जमा योजना के अंतर्गत निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा परिपक्वता पर देय ब्याज की अपेक्षा कम ब्याज प्रदान किया गया था। जिसके कारण नगर परिषद को सावधिक ब्याज के रूप में निम्नानुसार ₹148457 कम आय प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	सावधिक निवेश संख्या / बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता योग्य राशि (₹)	वास्तविकता से प्राप्त राशि (₹)	कम ब्याज प्राप्त राशि (₹)
1	902604298 पी० एन० बी० मैहतपुर	01.02.23	10000000	28.11.24	11400676	11252219	148457

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 692 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि सावधिक निवेश की स्त्रोत पर कटौती की वापसी हेतु सम्बन्धित बैंक से पत्राचार कर लिया जाएगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित सावधिक जमा योजना के अंतर्गत निवेशित राशियों की परिपक्वता पर बैंक द्वारा स्त्रोत पर आयकर की काटी गई राशि की वसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.3 **सावधिक ब्याज के रूप में राशि ₹1.26 लाख आय की हानि :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर में पेंशन एवं उपदान निधि से पी. एन. बी. मैहतपुर में सावधिक जमा योजना के अंतर्गत दिनांक 28.11.24 को ₹11252219 की राशि 6.80% की दर से 666 दिनों हेतु निवेशित की गई थी। जबकि नगर परिषद द्वारा दिनांक 18.11.2024 को एच० डी० एफ० सी० बैंक मैहतपुर में सावधि जमा योजना के अंतर्गत ₹7000000 की राशि 7.35% की दर पर 35 माह हेतु निवेशित की गई थी। पी० एन० बी० बैंक मैहतपुर द्वारा एच० डी० एफ० सी० बैंक की तुलना में उक्त राशि पर 0.55% की दर से कम ब्याज दिया गया था। जबकि प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या – FIN-IF(A)I-68/83-II दिनांक 29.04.2020 के अंतर्गत एक करोड़ से ऊपर के निवेश करने से पूर्व विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों का तुलनात्मक विश्लेषण करने उपरांत अधिक ब्याज दर देने वाले बैंक में निवेशित की जानी अनिवार्य थी। लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त निवेश करने से पूर्व विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया। यदि नगर परिषद द्वारा दिनांक 28.11.24 को ₹11252219 की राशि पी० एन० बी० बैंक मैहतपुर की जगह एच० डी० एफ० सी० बैंक मैहतपुर में 666 दिन हेतु निवेशित की जाती, तो उक्त राशि की परिपक्वता तिथि 25.09.26 पर ₹12853876 की राशि प्राप्त हो सकती थी। फलस्वरूप नगर परिषद को सावधिक ब्याज के रूप में ₹126337 (12853876 -12727539) की आय की हानि होगी। उक्त सावधिक ब्याज के रूप में आय की हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में सावधिक निवेश हेतु विभिन्न बैंकों से ब्याज दरें प्राप्त करके तुलनात्मक दरों के आधार पर अधिकतम ब्याज दर देने वाले बैंक में सावधिक निवेश किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद द्वारा सावधिक जमा योजना के अंतर्गत निवेश के समय विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों का तुलनात्मक विश्लेषण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ब्याज के रूप में हुई हानि ₹126337 का उतरदायित्व निर्धारित किया जाए। भविष्य में सावधिक निवेश हेतु विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों का तुलनात्मक विश्लेषण करने उपरान्त अधिकतम ब्याज दर वाले बैंक में ही सावधिक निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

6.4 पेंशन एवं उपदान निधि में राशि ₹66.69 लाख का अनुचित एवं गलत हस्तांतरण:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 514 दिनांक 8.11.2024 के अंतर्गत नगर परिषद मैहतपुर में हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के अधिकतम वेतनमान का स्वीकृत पदों के अनुसार पेंशन एवं उपदान अंशदान के रूप में 12% व 5% कुल 17% हिस्सा अवधि 01.01.2022 से 30.09.2024 तक की राशि ₹6669414 पेंशन एवं उपदान निधि में हस्तांतरित की गई थी। जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(10)-3/2002-IV-I-20604-64 दिनांक 23.10.2024 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के अधिकतम वेतनमान का पेंशन एवं उपदान अंशदान के रूप में 12% व 5% कुल 17% हिस्सा की गणना दिनांक 01.10.2024 से की जानी अपेक्षित थी। फलस्वरूप नगर परिषद मैहतपुर द्वारा अवधि 01.01.2022 से 30.09.2024 तक पेंशन एवं उपदान अंशदान के रूप में हस्तांतरित की गई राशि ₹6669414 अनुचित एवं गलत हस्तांतरण है। उक्त अनुचित एवं गलत हस्तांतरण का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -686 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01.01.22 से नया वेतनमान जारी किया गया है इसलिए कर्मचारी पेंशन एवं उपदान अंशदान भी दिनांक 01.01.22 से संशोधन वेतनमान के अनुसार गणना करवाकर जमा करवाया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(10)-3/2002-IV-I-20604-64 दिनांक 23.10.2024 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के अधिकतम वेतनमान का पेंशन एवं उपदान अंशदान के रूप में 12% व 5% कुल 17% हिस्सा की गणना दिनांक 01.10.2024 से की जानी अपेक्षित थी। अतः अवधि 01.01.2022 से 30.09.2024 तक पेंशन एवं उपदान अंशदान के रूप में पेंशन एवं उपदान निधि में हस्तांतरित की गई राशि ₹6669414 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के गत तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण:-

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा की गत तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वितीय वर्ष	आय (स्वयं स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2022-23	62892763	48414258
2023-24	47197461	37194598
2024-25	37364731	42031775

8 **अनुदान:-**

अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशियों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवदेन के **परिशिष्ट – (घ)** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय राशि (₹)	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2024-25	55910528.60	30371970	86282498.60	38646267	0	47636231.60

(क) अनुदानों की ₹476.36 लाख व्यय हेतु शेष :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट - (घ)** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹47636231.60 व्यय हेतु शेष थे | अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न करने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों की राशियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ है, वही दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं तथा जनता को भी प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा। दिनांक 31.03.2025 तक अनुदानों की शेष राशि को व्यय न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-701 दिनांक 30.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ स्पष्टीकरण देने हेतु लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या-403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदानों की शेष बची राशि का उपयोग कर लिया जाएगा। अत: अनुपयुक्त अनुदान की राशि को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए, इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों हेतु समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

(ख) ₹386.46 लाख के अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट - (घ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान अनुदानों में से क्रमशः ₹38646267 का व्यय किया गया दर्शाया गया था। लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई थी, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 702 दिनांक 30.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या-403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर तैयार न करना:-

नगर परिषद मैहतपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न विभागों/ संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **स्वीकृत बजट राशि से ₹29.05 लाख का अधिक व्ययः-**

नगर परिषद मैहतपुर का वित्तीय वर्ष 2024-25 का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2024-25	₹39126903	₹42031775	₹2904872

स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹2904872 का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 687 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर के अनुसार स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की निदेशक, शहरी विकास विभाग के कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 आय:-

दिनांक 31.03.25 तक वसूली हेतु शेष राशियों ₹434.86 लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.25 तक नगर परिषद मैहतपुर में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित राशियाँ ₹43486486 वसूली हेतु शेष थी।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक 31.03.25 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	गृहकर	38309260
2	दुकान किराया	1285306
3	चूल्हा कर	191500
4	गली विक्रेता	23700
5	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार	3232020
6	मोबाइल नवीनीकरण शुल्क	444700
	कुल योग	**43486486**

उपरोक्त उल्लेखित वसूली हेतु शेष राशियों का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 688 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि वसूली हेतु शेष राशियों की वसूली हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः उपरोक्त उल्लेखित वसूली हेतु शेष राशियों कि वसूली न करने के औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त वसूली हेतु शेष राशियों की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

10.1 दिनांक 31-03-2025 को गृहकर की ₹383.09 लाख की राशि वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट- (ङ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को निम्न विवरणानुसार गृहकर का बकाया राशि ₹38309260 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत्त रहता है तो सम्बन्धित नगर परिषद/ नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद / नगर पंचायत/ नगर निगम को देयकर का भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चो व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 688 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर के अनुसार गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

गृहकर						
वित्तीय वर्ष	**आरंभिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**वसूली (₹)**	**छूट (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2024-25	37039176	2556872	39596048	1142315	144473	38309260

(i) गृहकर की बकाया राशि पर नियमानुसार अधिभार (Surcharge) न लगाने के कारण ₹38.31 लाख की वित्तीय हानि:-

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष का गृह कर बिल जारी होने के उपरान्त 10 दिनों के भीतर

कर जमा करवाने पर, कर की राशि पर 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था। अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट तो दी गई थी परन्तु निर्धारित समय पर गृहकर न चुकाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से अधिभार नहीं लगाया गया था, जिसके कारण नगर परिषद को दिनांक 31.03.25 तक गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि ₹38309260 पर 10% सरचार्ज के रूप में ₹3830926 (38309260 x10%) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 689 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाई गई। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या - 403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में गृहकर अधिभार लगा दिया जायगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः गृहकर पर अधिभार न लगाने का नियमानुसार पूर्ण औचत्य स्पष्ट किया जाए व प्रतियुत्तर अनुसार समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृहकर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार देय अधिभार निर्धारित करके वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) गृहकर की बकाया शेष राशि का 58.47% वस्तुतः ₹223.95 लाख केवल 57 गृहकरदाताओं से ही वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक गृहकर की कुल बकाया राशि ₹38309260 का शहर में स्थित निवासियों से ₹11556016 व औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों से ₹10842551 कुल ₹22398567 केवल 57 गृह करदाताओं से ही वसूली हेतु शेष थी, जबकि नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएँ समय-समय पर वहां के नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दिनांक 31.03.2025 तक गृहकर दाताओं की बकाया राशि ₹38309260 में से **परिशिष्ट – (ङ-1)** पर उल्लेखित विवरणानुसार ₹22398567 केवल 57 गृह करदाताओं से वसूली हेतु शेष थी, जोकि कुल बकाया राशि का 58.47% है। अतः गृहकर की अधिकतर बकाया राशि ₹22398567 की वसूली करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) (क) गृहकर राशि का गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर इन्द्राज़ में न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार गृहकरदाता से वसूली गई गृहकर राशि का गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था।

क्रम संख्या	जी-8 संख्या	दिनांक	गृहकरदाता का नाम	गृहकर के रूप में वसूली गई राशि (₹)	गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर पेज संख्या व क्रम संख्या	टिप्पणी
3	07/ 1540	18.03.25	श्री लेख राज व दीपक कुमार वार्ड संख्या – 2 मैहतपुर	6000	पेज संख्या - 38 क्रम संख्या -104	गृहकर का गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में इन्द्राज न करना

अतः उक्त गृहकर राशि को गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त गृहकर राशि का इन्द्राज गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में सम्बन्धित गृहकरदाता के खाते में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर के रूप में वसूली गई राशि का गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में राशि ₹0.65 लाख कम इन्द्राज करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीदों के अंतर्गत गृहकर के रूप में वसूली गई राशि से कम राशि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज की गई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	जी-8 संख्या	दिनांक	गृहकर दाता का नाम	वसूली गई राशि (₹)	गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर पेज संख्या व क्रम संख्या	दर्ज की गई राशि (₹)	कम दर्ज की गई राशि (₹)
1	43/ 1537	11.03.25	श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री हंस राज वार्ड संख्या -6 मैहतपुर	5000	पेज संख्या -94 क्रम संख्या -7	3295	1705
2	14/ 1538	13.03.25	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री अमृतसरिया राम वार्ड संख्या -1 मैहतपुर	97200	पेज संख्या -2 क्रम संख्या -13	43200	54000

3	24/ 1541	25.03.25	डा० राम किशन सुपुत्र श्री नसीब सिंह वार्ड संख्या -2 मैहतपुर	9702	पेज संख्या -48 क्रम संख्या - 173	443	9259
4	43/ 1542	31.03.25	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री जसवंत राय वार्ड संख्या-2 मैहतपुर	500	पेज संख्या -27 क्रम संख्या - 23	452	48
			योग	**112402**		**47390**	**65012**

अतः गृहकर के रूप में वसूली गई राशि से कम राशि का गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम इन्द्राज की गई राशि का इन्द्राज गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में सम्बन्धित गृहकरदाता के खाते में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 दिनांक 31.03.2025 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹12.85 लाख वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट-(च)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक निम्नविवरणानुसार दुकानों के किराये के रूप में ₹1285306 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि/ टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत्त रहता है, तो सम्बन्धित नगर परिषद/ नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद/ नगर पंचायत/ नगर निगम को देयकर का भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चो व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त दुकान किराया की वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 688 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान किराया की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी।

ANNUAL REPORT

अतः प्रतियुत्तर अनुसार दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दुकान किराया					
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	1345862	864121	2209983	924677	1285306

(i) आरक्षित किराया की जगह कम मासिक किराया पर दुकान आबंटित करने के कारण राशि ₹0.27 लाख की वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकान संख्या -31 के आरक्षित किराया की जगह दुकान को कम मासिक किराया पर आबंटित करने के कारण नगर परिषद को किराये के रूप में आय ₹26680/- की वितीय हानि हुई थी, जबकि नियमानुसार नीलामी में पुराना मासिक किराया को आरक्षित किराया निर्धारित करके उससे ऊपर बोली शुरू की जानी अपेक्षित थी।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया	दुकान छोड़ने की तिथि	पुराना दुकान दार का नाम	नया दुकानदार का नाम	दुकान का आरक्षित मूल्य (₹)	जिस मासिक किराये पर दुकान आबंटित की गई (₹)	अन्तर (₹)	जिस तिथि से दुकान आबंटित की गई	अवधि	वित्तीय हानि (₹)
1	31	16170	28.02.24	श्री गुरदीप सिंह	श्री जसबीर सिंह	16170	9500	6670	1.12.24	1.12.24 से 31.03.25	26680

उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 691 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान का आरंभिक आरक्षित किराया ₹4000 था जोकि खुली बोली में ₹14700 पर किराये पर दी गई थी। दुकान खाली होने पर पुनः खुली बोली में अधिकतम बोली ₹9500 लगाई गई व उक्त दुकान ₹9500 पर मासिक किराया पर दी गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दुकान के पुराने किराये को

आरक्षित मूल्य बना कर उससे उपर बोली शुरु की जानी अपेक्षित थी । अतः उक्त दुकान को आरक्षित किराया की जगह कम मासिक किराये पर आबंटित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुकान को आरक्षित मूल्य की जगह कम मासिक किराये पर आबंटित करने के कारण किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि ₹26680 का उतरदायित्व निर्धारित किया जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) दुकानें खाली करने/ छोड़ने वाले दुकानदारों से किराये की शेष राशि ₹6.58 लाख की वसूली न करना :-

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों द्वारा दुकान खाली करने / छोड़ने के बावजूद भी दुकानदारों से मासिक किराये की वसूली हेतु शेष राशि ₹658490 की वसूली नहीं की गई थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 707 दिनांक 01.07.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि वसूली हेतु शेष राशि की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाएगी । उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः नगर परिषद की दुकानें के दुकानदारों से दुकान खाली करने/ छोड़ने वाले के बाद भी कई-कई वर्षों तक वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा दुकानदारों के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। दिनांक 31.03.25 तक दुकान खाली करने वाले दुकानदारों से दुकान किराये की शेष बची राशि की वसूली न करने का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है ।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	दिनांक 31.03.25 तक वसूली हेतु शेष राशि (₹)	दुकान खाली करने की तिथि	दिनांक 31.03.25 तक जितनी अवधि व्यतीत हो चुकी
1	27	श्री रोहित कुमार	77120	22.02.22	3 वर्ष 1 माह
2	28	श्री रोहित कुमार	77320	22.02.22	3 वर्ष 1 माह
3	30	श्री हरमीत सिंह	44100	28.02.21	4 वर्ष 1 माह
4	26	श्रीमती शालिनी शर्मा	51570	10.05.23	1 वर्ष 10 माह

5	31	श्री गुरदीप सिंह	278080	28.02.24	1 वर्ष
6	36	श्री अरुण कुमार	55000	29.10.22	2 वर्ष 5 माह
7	36	श्री अमित कुमार	34500	28.06.24	9 माह
8	37	श्री अरुण कुमार	40800	29.10.22	2 वर्ष 5 माह
		योग	**658490**		

10.3 दिनांक 31.03.25 तक मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹ 4.45 लाख की वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट- (छ)** पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना दिनांक 31.03.25 तक मोबाईल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क की निम्नानुसार ₹444700 की राशि वसूली हेतु शेष थी। मोबाइल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या –688 दिनांक 28.06.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि मोबाइल टावर की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

मोबाईल टावर					
वित्तीय वर्ष	**आरंभिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**वसूली (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2024-25	444700	0	444700	0	444700

10.4 दिनांक 31.03.25 को चूल्हा कर के रूप में ₹1.92 लाख वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट- (ज)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को चूल्हा कर के रूप में ₹191500 वसूली हेतु शेष थी| अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। उक्त वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 688 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया

कि चूल्हा कर की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः प्रतिपुत्तर के अनुसार चूल्हा टैक्स की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

चूल्हा कर					
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	191500	0	191500	0	191500

10.5 घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों ₹32.32 लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारो के रूप में दिनांक 31.03.25 को निम्नलिखित विवरणानुसार ₹3232020 वसूली हेतु शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –(झ)** पर उल्लेखित है।

ANNUAL REPORT

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	2874850	1468840	4343690	1111670	3232020

उपरोक्त उल्लेखित घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारो के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) घर –घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में दिनांक 31.03.2025 तक अत्याधिक राशि ₹3232020 वसूली हेतु शेष रहना चिन्ता का विषय है। जबकि घर-घर कूड़ा संग्रहण हेतु ठेके पर तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में कूड़ा उठाया जा रहा था। अतः घर –घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में दिनांक 31.03.2025 तक वसूली हेतु शेष राशि ₹3232020 की वसूली न करने औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए व घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में देय सम्पूर्ण राशि निर्धारित दरों के अनुसार शीघ्र अति शीघ्र वसूली जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नगर परिषद की परिधि में स्थापित हस्पतालों, सरकारी विद्यालयों व दो कमरों वाले कार्यालयों से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कोई भी राशि नही वसूली गई थी। जबकि घर-घर कूड़ा संग्रहण हेतु ठेके पर तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा हस्पतालों, सरकारी विद्यालयों व दो कमरों वाले कार्यालयों से कूड़ा उठाया जा रहा था। अतः वित्तीय 2024-25 के दौरान हस्पतालों,

सरकारी विद्यालयों व दो कमरों वाले कार्यालयों से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कोई भी राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की रसीदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 688 दिनांक 26.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली हेतु शेष राशियों की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.6 गली विक्रेताओं से लाइसेंस फीस राशि ₹0.24 लाख की वसूली न करना :-

(i) नगर परिषद मैहतपुर द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार नगर परिषद मैहतपुर में 13 गली विक्रेता पंजीकृत थे व गली विक्रेताओं से **परिशिष्ट – (ञ)** पर उल्लेखित लाइसेंस फीस के रूप में ₹500 प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹23700 की वसूली जानी अपेक्षित थी। उक्त राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 688 दिनांक 28.06.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि गली विक्रेताओं की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार गली विक्रेताओं से वसूली योग्य लाइसेंस फीस ₹23700 की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) गली विक्रेता पंजीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया किया गया। अतः गली विक्रेता पंजीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रजिस्टर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	16700	9000	25700	2000	23700

10.7 (क) शराब उपकर की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू. एल. बी. – एच. (सी) (9)-1, दिनांक 1.12.99 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर एक रूपए प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उप कर भुगतान किया जाना था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई थी। अतः सम्बन्धित विभाग से विक्रय की गई शराब की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख / आंकड़े अब एकत्रित करके आपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा स्वतः स्पष्ट शराब उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना हिमाचल प्रदेश से वर्ष अनुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि दिनांक 31.03.2025 तक लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार शराब उप कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.8 (क) विद्युत उप-कर की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी) (1)-9/94 दिनांक 24.08.2000 व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद द्वारा, नगर परिषद के क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट एक पैसा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय 2024-25 की विद्युत उप-कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई थी। अतः इस

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/ आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से दिनांक 31.03.2025 तक विद्युत उप-कर के रूप में कितनी राशि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई थी व कितनी राशि दिनांक 31.03.2025 तक विद्युत बोर्ड से लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्रप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार विद्युत उप-कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदारों को सफाई का ठेका न देने की जगह तृतीय न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदारों को सफाई का ठेका देने के कारण ₹0.82 लाख का अपव्यय :-

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक नगर परिषद मैहतपुर के विभिन्न वार्डों के सफाई के ठेके से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न वार्डों की सफाई का ठेका दिनांक 21.04.2023 को ऑनलाइन ई- टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा अवधि 01.05.23 से 30.09.23 तक 5 माह हेतु वार्ड संख्या 1 से 4 तक का ठेका श्री प्रिंस व वार्ड संख्या 5 से 9 तक का ठेका श्री गुरुदत्त को आबंटित किया गया था। नगर परिषद द्वारा अवधि 01.10.23 से 31.03.25 तक वार्ड संख्या 5 से 9 की सफाई के ठेके में ऑनलाइन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया न अपनाकर सफाई की ठेका राशि में प्रस्ताव संख्या- 188 दिनांक 12.09.2023 द्वारा 8% वृद्धि व प्रस्ताव संख्या- 17 दिनांक 01.03.24 द्वारा 8% वृद्धि करके श्री गुरुदत्त, ठेकेदार को आबंटित किया गया। लेकिन सफाई का ठेका न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदार को न देकर तृतीय न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदार को देने के कारण नगर परिषद को अवधि 01.04.2024 से 31.03.25 तक निम्नलिखित विवरणानुसार ₹ 81816 का अपव्यय हुआ था।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अवधि जिसके लिए सफाई ठेका आवंटित किया	न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदार का नाम	प्रथम न्यूनतम दर (₹)	सफाई ठेकेदार का नाम जिसको अधिक दर पर सफाई ठेका दिया गया	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	सफाई कार्य वार्ड संख्या - 5 से 9	1.04.2024 से 31.03.25	मै० जय मां इंटरप्राइजेज	2184552 (182046x12) (As on 1.05.23 =13078x12 no's labour =156936) Add:- Amount to be increased 8% w.e.f 1.10.23= 12555 Add:- Amount to be increased 8% w.e.f 1.04.24= 12555 Total =182046	श्री गुरुदत्त	2266368 (188864x12) (As on 1.05.23 13569x5=67845 13567x7=94969) Total =162814 Add:- Amount increased 8% w.e.f 1.10.23= 13025 Add:- Amount increased 8% w.e.f 1.04.24= 13025 Total =188864	81816
						योग	**81816**

यहाँ यह भी उल्लेखित करना अनिवार्य है कि अगर प्रथम व द्वित्तीय न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदारों ने कार्य करने से मना किया था, तब इस अवस्था में प्रथम व द्वित्तीय न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने उपरांत तृतीय नंबर (Third lowest) पर न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से समझौता वार्ता करने उपरांत प्रथम न्यूनतम दर की ठेका राशि के बराबर ही ठेका दिया जाना अनिवार्य था व ऐसा न होने की अवस्था पुनः ई-टेंडर किये जाने अपेक्षित थे। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -676 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 3.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रथम व द्वित्तीय न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदारों की दरें विभागीय न्यायोचिता से कम होने के कारण ठेका तृतीय न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार को दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदारों को सफाई का ठेका न देने के कारण अधिक दर भरने वाले ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक भुगतान की वसूली

सम्बन्धित सफाई ठेकेदार अथवा अपव्यय करने हेतु उत्तरदायी/ अधिकारी कर्मचारी से की जाये। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11.1 सफाई ठेका राशि में गलत तरीके से वृद्धि करने के कारण सफाई संविदाकार को राशि ₹1.56 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:-

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.04.2024 से 31.03.2025 तक नगर परिषद मैहतपुर में वार्ड संख्या 5 से 9 तक सफाई का ठेका श्री गुरुदत्त, सफाई ठेकेदार को ₹188864 प्रतिमाह की दर से आबंटित किया गया था। जिसमें मूल ठेका राशि ₹162814 में प्रस्ताव संख्या 188 दिनांक 12.09.2023 के अंतर्गत पूर्व में ही 8% की वृद्धि ₹13025 सम्मलित करके ₹175839 (162814+13025) प्रति माह की दर से आबंटित किया जाना अपेक्षित था। जबकि उक्त ठेका मूल ठेका राशि ₹162814 दो बार वृद्धि देकर ₹188864 में आबंटित किया गया था। उक्त ठेका राशि में 8% व 8% वृद्धि प्रस्ताव संख्या 188 दिनांक 12.09.23 व प्रस्ताव संख्या 17 दिनांक 01.03.24 के अंतर्गत की गई दर्शाई थी। प्रस्ताव संख्या 17 दिनांक 01.03.24 के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त प्रस्ताव में पूर्व में प्रदान की गई 8% वृद्धि सहित ठेका अवधि बढ़ाने हेतु पारित किया गया था न कि ठेका राशि में अतिरिक्त 8% वृद्धि हेतु पारित किया गया था। सफाई की ठेका राशि में दिनांक 01.10.2023 व 01.04.2024 को दो बार 8% वृद्धि करके दिनांक 01.04.2024 से 8% की गलत वृद्धि प्रदान की गई थी। जबकि सफाई की ठेका राशि में केवल एक बार ही वृद्धि की जानी अपेक्षित थी। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि वर्ष के दौरान मजदूरी की दरों में केवल एक बार ही वृद्धि हुई थी। फलस्वरूप उक्त सफाई ठेकेदार की ठेका राशि में दिनांक 01.04.2024 से 8% की गलत वृद्धि करने के कारण अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक ₹13025 प्रतिमाह की दर से ₹156300 (13025x12) का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -677 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या - 403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि सफाई ठेका राशि में वृद्धि प्रस्ताव संख्या -17 दिनांक 01.03.24 के अंतर्गत की गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित सफाई संविदाकार अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	ठेका अवधि	वार्ड संख्या	ठेका राशि दिनांक 1.05.23	ठेका राशि में दिनांक 1.10.23 को प्रदान की गई वृद्धि 8%	ठेका राशि में दिनांक 1.04.24 को पुनः प्रदान की गई गलत वृद्धि 8%	देय योग्य ठेका राशि (₹)	दी गई ठेका राशि (₹)	अंतर (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	1.04.24 से 31.03.25	5 से 9	162814	13025	13025	175839	188864	13025	156300

11.2 सफाई संविदाकार को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना ई-टेंडरिंग किए ₹41.81 लाख का सफाई का ठेका आबंटित करना:-

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक नगर परिषद मैहतपुर में वार्ड संख्या 1 से 9 तक सफाई का ठेका ₹4181088 ई-टेंडरिंग किए बगैर ठेका राशि में 8% की वृद्धि करके श्री गुरुदत्त सफाई संविदाकार को आबंटित किया गया था। जोकि नियमों के विपरीत है। क्योंकि निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला-2 के पत्र संख्या : UD-H (F) –Tender –Engg-Cell- 23793-847 दिनांक 21-03-2016 के अनुसार पांच लाख रूपए से अधिक राशि के कार्यों को ई- टेंडरिंग के माध्यम से आबंटित करना अनिवार्य था। बिना ई-टेंडरिंग के सफाई ठेकेदार को सफाई का ठेका आबंटित करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सफाई संविदाकार को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से ठेका राशि में 8% की वृद्धि करके सफाई का ठेका आबंटित किया गया था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -679 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में अंकेक्षण द्वारा दिए गये सुझावानुसार सफाई कार्य ई- टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि संविदाकार को अप्रत्याशित लाभ/व्यक्ति विशेष को लाभ देने के प्रयोजन से बिना ई-टेंडरिंग के सफाई ठेकेदार को सफाई का ठेका आबंटित किया गया था। अतः बिना ई-टेंडरिंग के सफाई का ठेका सफाई संविदाकार श्री गुरुदत्त को आबंटित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में विभागीय जाँच-पड़ताल की जाए तथा पाई गई किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	अवधि	सफाई संविदाकार का नाम	वार्ड संख्या	ठेका राशि	मासों की संख्या	राशि (₹)
1	01.04.2024 से 31.03.2025	श्री गुरुदत्त	1 से 4	159560	12	1914720
2	01.04.2024 से 31.03.2025	श्री गुरुदत्त	5 से 9	188864	12	2266368
					योग	**4181088**

12 **इलेक्ट्रिकल पोल्स ब्रैकेटस का अनावश्यक क्रय करने के कारण राशि ₹1.14 लाख का अपव्यय :-**

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर में विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत मै० कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी ऊना को इलेक्ट्रिकल पोल्स 9 मीटर को काटकर 7.5 मीटर करने व नये ब्रैकेट की आपूर्ति व लगाने के रूप में ₹216790 का भुगतान किया गया था।

क्र. स.	वाउचर संख्या/ दिनांक	संविदाकार का नाम	मद का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	541/ 25.11.24	मै० कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी ऊना	Cutting of existing SL poles 7.5 mtrs to 9.00 mtr	19 नंबर	6460	122740
	घटाव:-	cut down portion of poles		19 नंबर	1050	19950
					योग	**102790**
2	542/ 25.11.24	मै० कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी ऊना	Supplying and fixing of decorative brackets	19 नंबर	6000	114000
क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (102790+114000)						**216790**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचर के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त उल्लेखित क्रम संख्या (1) पर उल्लेखित इलेक्ट्रिकल पोल्स 9 मीटर को काटकर 7.5 मीटर किया गया था, तो उन पर पहले से ही लगे हुए ब्रेकेटस को पुनः इलेक्ट्रिकल पोल्स पर लगाया जाना अपेक्षित था। लेकिन नगर परिषद द्वारा इलेक्ट्रिकल पोल्स पर पहले से लगे हुए ब्रेकेटस का प्रयोग न करके नये ब्रेकेटस क्रय करने के कारण ₹114000 का अनावश्यक क्रय करने के कारण अपव्यय किया गया था। यदि नगर परिषद द्वारा इलेक्ट्रिकल पोल्स पर पहले से लगे हुए ब्रेकेटस को ही प्रयोग में लाया जाता तो नगर परिषद "Supplying and fixing of decorative brackets" के अपव्यय ₹114000 से बचा जा सकता था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -683 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 3.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिकल पोल्स ब्रेकेटस पुराने होने के कारण उसकी जगह डेकोरेटड ब्रेकेटस लगाये गये है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद द्वारा इलेक्ट्रिकल पोल्स पर पहले से लगे हुए ब्रेकेटस को प्रयोग न करके नये ब्रेकेटस क्रय करने के कारण ₹114000 का अनावश्यक क्रय एवं अपव्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में निर्धारित प्रतिशतता से अधिक के विचलन होने के बावजूद संशोधित प्राकलन तैयार न करके सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न करना :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कोड 1975 की धारा 189 (3) के अनुसार "if at any time before completion of work, it appears that the sanctioned estimate is likely to be exceeded by more than 10% either owing the rate being found in sufficient & for any other cause The Municipal Engineers shall submit for sanction a revised estimate in form m.w.2 together with comparative statement giving the full explanation of the cause which have led to the variation either in quantity or in the rates between sanction & revised estimate". लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा द्वारा उपरोक्त उल्लेखित नियम की अनुपालना नहीं की गई। निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में 10% से अधिक के विचलन के बावजूद न तो संशोधित प्राकलन तैयार किया गया है व न ही संशोधित प्राकलन की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम व वाउचर संख्या व दिनांक	अवार्ड पत्र संख्या व दिनांक	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	मद संख्या	मद का नाम	प्राकलन मात्रा	निष्पादित मात्रा	विचलन मात्रा	दर	विचलन राशि (₹)
1	C/O street with pavers blocks from old Una Nangal road to H/O Ram Kumar in ward No. 4 MC Mehatpur	श्री रोबिन शर्मा 752/ 19.03.25	MCMB./ 2024-583 दिनांक 20.09.24	52 पेज संख्या 54 से 58 व 66	2	Demolishing cement concrete manually/mechanically	1.31 m3	5.44m3	4.13 m3	900	3717
					3	P/L PVC Pipe D-Plast D-Plast 150 mm dia	25.00 Rmt	87.55 Rmt	62.55 Rmt	590	36904
					4	P/L CC 1:4:8	0.87 m3	9.08 m3	8.21 m3	3850	31609
					5	P/L CC Paver Blocks 60mm	50 m2	124.39 m2	74.39 m2	790	58768
					6	P/L CC 1:2:4	0.64m3	2.20 m3	1.56 m3	5200	8112
										योग	**139110**
2	Improvement of drainage system from H/O Sandesh towards Pipple tree in ward no. 9 MC Mehatpur	श्री राजेश कुमार 761/ 20.03.25	MCMB./ 2024-697 दिनांक 18.11.24	52 पेज संख्या 82 से 84 व 51 पेज संख्या 94 से 95	2	P/L PVC Pipe D-Plast 250mm dia	80 Rmt	139.55 Rmt	59.55 Rmt	950	**56572**
3	Re-construction of street with C.C. from Old Nangal road towards H/O Sh. Kuldeep atta chaki in ward no. 9 MC Mehatpur	श्री रजत राणा 89/ 18.05.24	MCMB./ 2024-194 दिनांक 5.03.24	51 पेज संख्या 60 से 68	3	P/L PVC Pipe 150mm dia	300 Rmt	486.30 Rmt	186.30 Rmt	390	72657
					4	P/L CC 1:4:8	50.30 m3	7.71 m3	42.59 m3	1600	68144
					5	P/L 1:1.5:3	86.85 m3	67.50 m3	19.35 m3	4200	81270
										योग	**222071**
4	Re-construction of street from	श्री केशव शर्मा 586/ 17.12.24	MCMB./ 2024-93	52 पेज संख्या 78 से 82	1	Demolsiing of unserviceabl	4.80 m3	38.07 m3	33.27 m3	300	9981

	H/O Suresh Bhardwaj to H/O Shiv Bhardwaj in ward no 4 & 5 MC Mehatpur		दिनांक 23.01.24			e material mechanically					
					2	Earth work in excavation	48 m2	253.78 m2	205.78 m2	3	617
					3	P/L CC 1:4:8	4.80 m3	25.33 m3	20.53 m3	2300	47219
					4	P/L CC 1:1.5:3	120 m3	133.36 m3	13.36m3	4150	55444
										योग	113261
क्रम संख्या (1) से (4) तक का कुल योग (139110+56572+222071+113261)											531014

उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -704 दिनांक 1.07.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 3.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में विचलन राशि का संशोधित प्राकलन तैयार करके सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित निर्माण कार्यों में विचलन राशि का संशोधित प्राकलन तैयार करके सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.1 निर्माण कार्य बिलों में संविदाकारों को ₹0.31 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान :-

अंकेक्षण में निर्माण कार्य बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार संविदाकारों को ₹30606 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

(i) कार्य का नाम	C/O street with hequered tiles from H/o Bholi Devi to H/O Nanak Chand in ward no 4
ठेकेदार का नाम	श्री सत्यम
ठेका आबंटन पत्र संख्या	MCMB/works/2024-447 दिनांक 20.07.24
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	52 पेज संख्या 15 से 17
वाउचर संख्या व दिनांक	282 दिनांक 4.08.24

उपरोक्त निर्माण कार्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता पहले से कंक्रीट निर्मित था, नगर परिषद द्वारा पेवेर्स ब्लॉक्स लगवाने हेतु किए गये निर्माण कार्य मद संख्या "1" Demolition of CC manually/ mechanical means कार्य प्रमात्रा 0.55 घन मीटर हेतु ₹467 का भुगतान किया गया तथा मद संख्या 3 के अनुसार उसी रास्ते पर P/L in position C.C. 1:4:8

etc. कार्य प्रमात्रा 0.47 घन मीटर हेतु ₹1636 का व्यय किया गया। उक्त रास्ते पर पेवेर्स ब्लॉक्स लगाने हेतु मद संख्या "4" P/L factory made chamfered edge cement concrete pavers blocks etc 80mm कार्य प्रमात्रा 93.52 वर्ग मीटर हेतु ₹850 की दर से ₹79534 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में, यदि उक्त रास्ते पर पेवेर्स ब्लॉक्स लगाने का ही प्रावधान था, तो पहले से कंक्रीट निर्मित रास्ते को मद संख्या 1 के अनुसार तोड़कर मद संख्या 3 के अनुसार पुनः निर्मित किन कारणों से किया गया, जबकि पेवेर्स ब्लॉक्स पहले से निर्मित रास्ते पर भी लगवाये जा सकते थे। अतः निम्न विवरणानुसार मद संख्या 1 व 3 पर किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है।

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	दर	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	1	Demolition of CC manually/ Machanical means	850	0.55 m3	467
2	3	P/L C.C: 1:4:8	3480	0.47m3	1636
				योग	**2103**

(ii) कार्य का नाम	C/O street with i/pavers Blocks from NH to H/O Sh. Ranjeet in ward no. 1
ठेकेदार का नाम	श्री सत्यम
ठेका आबंटन पत्र संख्या	MCMB/works/2024-174 दिनांक 28.02.24
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	52 पेज संख्या 24 से 29
वाउचर संख्या व दिनांक	285 दिनांक 4.08.24

उपरोक्त निर्माण कार्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता पहले से कंक्रीट निर्मित था, नगर परिषद द्वारा पेवेर्स ब्लॉक्स लगवाने हेतु किए गये निर्माण कार्य मद संख्या "1" Demolition of CC manually/ mechanical means कार्य प्रमात्रा 2.01 घन मीटर हेतु ₹1087 का भुगतान किया गया तथा मद संख्या 4 के अनुसार उसी रास्ते पर P/L in position C.C. 1:4:8 etc. कार्य प्रमात्रा 2.71 घन मीटर हेतु ₹4336 का व्यय किया गया। उक्त रास्ते पर पेवेर्स ब्लॉक्स लगाने हेतु मद संख्या "5" P/L factory made chamfered edge cement concrete pavers blocks etc 60 mm कार्य प्रमात्रा 255 वर्ग मीटर हेतु ₹391 की दर से ₹99705 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में, यदि उक्त रास्ते पर पेवेर्स ब्लॉक्स लगाने का ही प्रावधान था, तो पहले से कंक्रीट

निर्मित रास्ते को मद संख्या 1 के अनुसार तोड़कर मद संख्या 3 के अनुसार पुनः निर्मित किन कारणों से किया गया, जबकि पेवेर्स ब्लॉक्स पहले से निर्मित रास्ते पर भी लगवाये जा सकते थे। अतः निम्न विवरणानुसार मद संख्या 1 व 4 पर किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है।

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	दर (₹)	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	1	Demolition of CC manually/ Machanical means	541	2.01 m3	1087
2	3	P/L C:C: 1:4:8	1600	2.71 m3	4336
				योग	5423

(iii) कार्य का नाम	C/O street with chequered tiles from H/O Gopal Chand to H/O Sh. Gurpal in ward no. 5 MC Mehatpur
ठेकेदार का नाम	श्री अमन शर्मा
ठेका आबंटन पत्र संख्या	MCMB/works/2024-592 दिनांक 23.09.24
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	52 पेज संख्या 85 से 87
वाउचर संख्या व दिनांक	692 दिनांक 17.02.25

उपरोक्त निर्माण कार्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता पहले से कंक्रीट निर्मित था, नगर परिषद द्वारा पेवेर्स ब्लॉक्स लगवाने हेतु किए गये निर्माण कार्य मद संख्या "1" Demolition of CC manually/ mechanical means कार्य प्रमात्रा 7.52 घन मीटर हेतु ₹6768 का भुगतान किया गया तथा मद संख्या 2 के अनुसार उसी रास्ते पर P/L in position C.C 1:3:6 etc. कार्य प्रमात्रा 3.75 घन मीटर हेतु ₹16312 का व्यय किया गया। उक्त रास्ते पर पेवेर्स ब्लॉक्स लगाने हेतु मद संख्या "3" P/L factory made chamfered edge cement concrete pavers blocks etc 22 mm कार्य प्रमात्रा 139.88 वर्ग मीटर हेतु ₹750 की दर से ₹104910 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में, यदि उक्त रास्ते पर पेवेर्स ब्लॉक्स लगाने का ही प्रावधान था, तो पहले से कंक्रीट निर्मित रास्ते को मद संख्या 1 के अनुसार तोड़कर मद संख्या 2 के अनुसार पुनः

निर्मित किन कारणों से किया गया, जबकि पेवेर्स ब्लॉक्स पहले से निर्मित रास्ते पर भी लगवाये जा सकते थे। अतः निम्न विवरणानुसार मद संख्या 1 व 2 पर किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है।

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	दर (₹)	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	1	Demolition of CC	900	7.52 m3	6768
2	2	P/L C:C: 1:3:6	4350	3.75 m3	16312
				योग	**23080**

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग (2103+5423+23080)= ₹30606

(2) उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iii) उल्लेखित निर्माण कार्यों में खपत हुई सामग्री का मद वार खपत विवरण का आंकलन मापन पुस्तिका अथवा भुगतान वाउचर के साथ सलंग्न नहीं था तथा न ही खपत हुई सामग्री के क्रय की पुष्टि हेतु सीमेंट, रेत बजरी इत्यादि के बिल/वाउचर के साथ सलंग्न नहीं थे। उपरोक्त उल्लेखित निर्माण कार्यों में मदों की दरों की गणना गलत तरीके एवं नियमों के विपरीत करने के कारण ₹30606 का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -681 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक एवं गलत भुगतान की संस्था स्तर पर जांच कर ली जाएगी। अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों में गलत तरीके से नियमों के विपरीत कार्य करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान ₹30606 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों/ अधिक एवं गलत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी अथवा उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.2 संविदाकारों को राशि ₹0.48 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:-

नगर परिषद द्वारा अवधि 4/24 से 3/25 के दौरान करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों को निर्माण कार्यों में ₹48374/- का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। निर्धारित मानकों व तय मापदण्डों के अनुसार Providing and fixing interlock pavers tiles के प्रकरण में providing and fixing interlock pavers tiles को मजबूती प्रदान किए जाए के लिए providing and fixing interlock pavers tiles के दोनों

तरफ providing and laying cement concrete 1:2:4 की परत (layer) डाली जाती है, जिससे providing and fixing interlock pavers tiles को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके। स्वतः स्पष्ट है कि जिस मात्रा के लिए providing and laying cement concrete 1:2:4 निष्पादित की जाएगी, वहां पर interlock pavers tiles नहीं लगाई जाएगी। नियमानुसार इस प्रकार के निर्माण कार्यों में providing and laying cement concrete 1:2:4 की निष्पादित कार्य मात्रा को providing and fixing interlock pavers tiles की निष्पादित कार्य मात्रा में से कम करके, providing and fixing interlock pavers tiles की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना अपेक्षित था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण/मुरम्मत कार्यों में providing and laying cement concrete 1:2:4 की मात्रा को providing and fixing interlock pavers tiles की मात्रा से कम किए बगैर ही संविदाकारों को भुगतान किया गया था, जिसके कारण संविदाकारों को संलग्न **परिशिष्ट-'ट'** पर उल्लेखित ₹48374 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -680 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से कर ली जाएगी। अतः प्रतिउत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित निर्माण कार्यों में किये गये अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

13.3 तकनीकी स्वीकृति के बगैर ₹36.30 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला -2, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: UD-H(F)(10) -9/2007 Misc. Engg- Cell 9020-9068 दिनांक 20-08-2016 के अनुसार नगर पालिका/ नगर परिषद कनिष्ठ अभियन्ता को ₹3 लाख तक के कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम है व ₹3 लाख से अधिक व ₹10 लाख तक के कार्यों हेतु सहायक अभियन्ता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान राशि ₹3 लाख से अधिक के कार्यों हेतु सहायक अभियन्ता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। जोकि अनियमित है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बगैर करवाए गए **₹3630346** के कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	प्राकलन राशि (₹)
1	2024-25	Re-construction of street with C.C. from Old Nangal road towards H/O Sh. Kuldeep atta chaki in ward no. 9 MC Mehatpur - Basdehra	598933
2	2024-25	Re-construction of road / street with c.con. from old Nangal road towards MC park in ward no. 9, MC Mehatpur-Basdehra	404134
3	2024-25	Re-construction of street from H/O Suresh Bhardwaj to H/O Shiv Bhardwaj in ward no 4 & 5 MC Mehatpur - Basdehra	797490
4	2024-25	Construction of Boundary wall to proposed MC park near Dr. Ambedkar Bhawan in ward no.8 MC Mehatpur- Basdehra	910445
5	2024-25	C/O Nallah from Gurudwara Sahib to main Nallah near hospital in ward no. 8, MC Mehatpur Basdehra	387114
6	2024-25	Re-Construction of street with C.conc from H/O Sh. Moti Lal to H/O Sh. Pradeep Kumar and others various street in ward no. 2 MC Mehatpur- Basdehra	532230
		योग	**3630346**

उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -706 दिनांक 01.07.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि ₹3 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। अत: उपरोक्त उल्लेखित वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान राशि ₹3 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी, सहायक अभियन्ता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व

राशि ₹3 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी, सहायक अभियन्ता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.4 प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर ₹28.39 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन :-

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला -2, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: यू० डी० – ए० (3) 5/2007 दिनांक 10-03-2010 के नियम 2(3) के अनुसार नगर पालिका ₹5 लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान राशि ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बगैर किया गया है। जोकि अनियमित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना करवाए गए ₹2839098 के कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	प्राकलन राशि (₹)
1	2024-25	Re-construction of street with C.C. from Old Nangal road towards H/O Sh. Kuldeep atta chaki in ward no. 9 MC Mehatpur - Basdehra	598933
2	2024-25	Re-construction of street from H/O Suresh Bhardwaj to H/O Shiv Bhardwaj in ward no 4 & 5 MC Mehatpur - Basdehra	797490
3	2024-25	Construction of Boundary wall to proposed MC park near Dr. Ambedkar Bhawan in ward no.8 MC Mehatpur- Basdehra	910445
4	2024-25	Re-Construction of street with C.conc from H/O Sh. Moti Lal to H/O Sh. Pradeep Kumar and others various street in ward no. 2 MC Mehatpur- Basdehra	532230
		योग	**2839098**

ANNUAL REPORT

उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -705 दिनांक 01.07.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि राशि ₹5 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अतः उपरोक्त उल्लेखित वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान राशि ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व राशि ₹5 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 श्री रजत राणा, संविदाकार को निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹4.00 लाख का अनियमित रूप से अग्रिम (Advance) प्रदान करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2025 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत श्री रजत राणा, संविदाकार को निर्माण कार्यों हेतु ₹400000 के अग्रिम (Advance) प्रदान किए गये थे। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	अग्रिम राशि (₹)
1	787	29.03.25	C/o Nallah Gurdwara to House of Madan Lal	200000
2	788	29.03.25	Repair of paths in ward no. 1 to 6	200000
			योग	**400000**

टेंडर व कार्य आबंटन के नियम व शर्तों के अनुसार निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु अग्रिम राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उपरोक्त उल्लेखित संविदाकार को अप्रत्यक्ष लाभ देने के प्रयोजन से निर्माण कार्यों के लिए ₹400000 का अनियमित रूप से अग्रिम प्रदान किए गये थे।। उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -682 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में संविदाकार को अग्रिम राशि प्रदान नहीं की जाएगी व अग्रिम राशि का समायोजन संविदाकार के बिल से कर लिया गया है। अतः नियमों में प्रावधान न होने के बावजूद भी संविदाकार को निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अनियमित रूप से ठेकेदारों को अग्रिम राशि देने से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

15 **बिना मांग के संविदाकारों को राशि ₹2.15 लाख की प्रतिभूति वापिस लौटाना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत संविदाकारों को निर्माण कार्यों हेतु काटी गई प्रतिभूति वापिस लौटाई गई थी। लेकिन संविदाकारों द्वारा प्रतिभूति वापिस लौटाने हेतु मांग नहीं की गई थी। प्रतिभूति वापिस लौटाने हेतु जो वाउचरों सलंग्न किए गए थे, उन पर संविदाकारों के हस्ताक्षर उल्लेखित नहीं थे। उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -684 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या -403 दिनांक 3.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि संविदाकारों को प्रतिभूति वास्तविक रूप में वापिस की गई है। आवेदन पत्रों पर संविदाकारों के हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः बिना मांग के संविदाकारों को प्रतिभूति वापिस लौटाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	संविदाकार का नाम	राशि (₹)
1	30/ 18.04.2024	श्री संजीव भारद्वाज	18614
2	31/ 18.04.2024	श्री संजीव भारद्वाज	55140
3	32/ 18.04. 2024	श्री संजीव भारद्वाज	74013
4	33/ 18.04. 2024	श्री संजीव भारद्वाज	16433
5	95/ 27.05. 2024	श्री जीवन भारद्वाज	13173
6	96/ 27.05. 2024	श्री जीवन भारद्वाज	12492
7	97/ 27.05. 2024	श्री जीवन भारद्वाज	12289
8	98/ 27.05. 2024	श्री जीवन भारद्वाज	12817
		योग	**214971**

ANNUAL REPORT

16 **स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार रजिस्टर के रख-रखाव हेतु राशि ₹1.62 लाख का अनुचित एवं गलत भुगतान :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 436 दिनांक 18.10.24 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अवधि 01.04.23 से 31.03.24 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार रजिस्टर के रख-रखाव हेतु ₹162000 का भुगतान किया गया था। जबकि घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार रजिस्टर का रख-रखाव नगर परिषद कार्यालय में स्थित कर्मचारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित था। नगर परिषद कार्यालय में स्थित कर्मचारियों द्वारा घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार रजिस्टर का रख-

रखाव स्वयं न करके स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा करने के कारण किया गया भुगतान ₹162000 अनुचित एवं गलत है। उक्त अनुचित एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -685 दिनांक 28.06.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या- 403 दिनांक 03.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण उक्त कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से करवाया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नगर परिषद मैहतपुर के कार्यालय में नियमित तौर पर दो लिपिक व एक बाहरी स्रोत पर तैनात सामुदायिक आयोजक था। अतः उक्त अनुचित एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अनुचित एवं गलत भुगतान की वसूली भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 अन्य:-

(i) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में अधिक भुगतान ₹3000 व मौके पर वसूली :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या- 702 दिनांक 18.02.25 के अंतर्गत श्री अश्वनी कुमार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे सहनी आई० अस्पताल रक्कड़ कॉलोनी ऊना से आँखों के ऑपरेशन में आँखों के लैंस, ऑपरेशन थेटर प्रभार, डॉक्टर फीस/ प्रोफेशनल चार्जेज व दवाईयों के रूप में ₹16500 का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1	Intraocular Lens	25000	6500
2	Doctor Fees/ Professional Fees	3000	3000
3	OT Charges	2000	2000
4	Medicine	5000	5000
	योग	**35000**	**16500**

उपरोक्त क्रम संख्या (2) पर उल्लेखित डॉक्टर फीस/ प्रोफेशनल चार्जेज के रूप में भुगतान की गई राशि ₹3000 देय नहीं थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -708 दिनांक 1.07.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या 403 दिनांक 03.07.25 के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में अधिक भुगतान ₹3000 की वसूली रसीद संख्या 03/1549 दिनांक

3.07.25 के अंतर्गत कर ली गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः भविष्य में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का नियमानुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) श्रमकर राशि ₹1.20 लाख को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा न करवाना :-

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा में अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विभिन्न संविदाकारों के बिलों से श्रमकर के रूप में काटी गई राशि ₹120075 को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा नहीं करवाया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। (सलंग्न **परिशिष्ट –ठ)**

क्रम संख्या	अवधि	राशि (₹)
1	1.04.2024 से 30.06.2024	34483
2	1.07.2024 से 30.09.2024	38148
3	1.10.2024 से 31.12.2024	19322
4	1.01.2025 से 31.03.2025	28122
	योग	**120075**

अतः नगर परिषद मैहतपुर द्वारा अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विभिन्न संविदाकारों के बिलों से श्रमकर के रूप में काटी गई राशि को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) चालान प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या -749 दिनांक 05.03.25 के अंतर्गत श्रीमती रितु बाला को वस्तु एवं सेवा कर की राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार ₹6970 हस्तांतरित की गई थी। लेकिन उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने से सम्बन्धित मूल चालान वाउचर नस्ति में सलंग्न नहीं था। जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उक्त राशि वास्तव में सम्बन्धित विभाग में जमा हो गई थी। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने से सम्बन्धित चालान आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	नाम	विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	749/ 5.03.25	श्रीमती रितु बाला	वस्तु एवं सेवा कर	6970	श्री गुरुदत्त संविदाकार की वस्तु एवं सेवा कर की राशि

(iv) भवन मैपिंग शुल्क से सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेतु चयनित माह 3/2025 के दौरान रोकड़ बही के आय पक्ष में दिनांक 31.03.25 को एच० डी० एफ० सी० मैहतपुर के खाता संख्या 50100028120340 के अंतर्गत ऑनलाइन भवन मैपिंग शुल्क के रूप में ₹130814 की आय दर्ज की गई थी। लेकिन उक्त भवन मैपिंग शुल्क के रूप में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -710 दिनांक 02.07.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के पत्र संख्या- 403 दिनांक 3.07.25 द्वारा स्पष्ट किया कि भवन मैपिंग से सम्बन्धित फाइलें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण हेतु चयनित माह 3/25 के दौरान भवन मैपिंग फीस के रूप में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) बिजली बिल रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर में वाउचर संख्या 765 से 784 दिनांक 20.03.2025 के अंतर्गत माह 03/2025 के बिजली बिलों का ₹181950 भुगतान भुगतान किया गया था। लेकिन बिजली बिल रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः बिल रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर में विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत निम्नलिखित अस्थाई सामान क्रय किया गया था। लेकिन क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। क्रय

किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होने के कारण क्रय किए गये सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय किए गए अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	राशि (₹)	सामान का विवरण
1	743/ 5.03.25	शून्य/ 4.01.25	मै० लक्ष्मी बोतल स्टोर मेन बाजार मैहतपुर	1500	खाली बोरी
2	747/ 5.03.25	518/ 7.02.25	मै० ओम शिव शक्ति, मेन बाजार मैहतपुर	2000	खम्बा बैल्डिंग
3	757/ 20.03.25	शून्य/ 14.01.25	के० एस० इंटरप्राइजेज, विपरीत रा० व० मा० पा० बसदेहड़ा	996	सेनीटेशन का सामान
4	758/ 20.03.25	शून्य/ 29.01.25	के० एस० इंटरप्राइजेज, विपरीत रा० व० मा० पा० बसदेहड़ा	2550	सेनीटेशन का सामान
5	759/ 20.03.25	शून्य/ 17.01.25	के० एस० इंटरप्राइजेज, विपरीत रा० व० मा० पा० बसदेहड़ा	2815	सेनीटेशन का सामान
6	760/ 20.03.25	शून्य/ 20.02.25	के० एस० इंटरप्राइजेज, विपरीत रा० व० मा० पा० बसदेहड़ा	547	सेनीटेशन का सामान
			योग	**10408**	

(vii) कार्यालय जेनरेटर हेतु क्रय किए गये डीजल की खपत का अभिलेख तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान कार्यालय जेनरेटर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि कार्यालय जेनरेटर रजिस्टर पेज संख्या -1 पर दिनांक 01.04.24 से 31.03.25 तक विभिन्न तिथियों के अंतर्गत 521 लीटर डीजल का क्रय किया गया था। लेकिन जेनरेटर के प्रयोग हेतु डीजल की खपत से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था। जेनरेटर किस तिथि को कितने घंटे चला व डीजल की कितनी मात्रा खपत हुई, से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। उक्त विवरण के अभाव में क्रय किये गये डीजल की मात्रा के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः

जेनरेटर के प्रयोग हेतु डीजल की खपत से सम्बन्धित विवरण विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि डीजल के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

(viii) टेंडर विक्रय रजिस्टर, धरोहर राशि रजिस्टर, प्रतिभूति रजिस्टर को तैयार न करना :-

अंकेक्षण अवधि 01-04-24 से 31-03-25 तक नगर परिषद मैहतपुर द्वारा करवाए गए निर्माण/ मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित टेंडर विक्रय रजिस्टर, धरोहर राशि रजिस्टर, प्रतिभूति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ix) रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक नगर परिषद मैहतपुर द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(x) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियों का संधारण न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त आय ₹35458473, ब्याज ₹1906257.72 व व्यय ₹42031775 दर्शाया गया है। परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों का संधारण नहीं किया गया था। जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी, कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था ,वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(xi) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके। अतः वितीय वर्ष 2024-25 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट

अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(xii) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वितीय वर्ष 2024-25 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वितीय वर्ष वितीय वर्ष 2024-25 हेतु कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को तैयार एवं अद्यतन (Update) करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

30 SEP 2025

6288- 6290

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल०ए०)एच(2)सी(15) (V) 65/78 खण्ड–5 दिनांक, शिमला–09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2, को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप–सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधान सभा शिमला–03।

पंजीकृत :– 3. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर–बसदेहडा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 3/1991

1)	पैरा – 5 (क)	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 5 (ख)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 5 (ग)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 6 (ग)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 6 (घ)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 6 (ड.)	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 6 (छ)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 9 (क)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 9 (ख)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 10 (क)	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 10 (ख)	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 10 (ग)	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 10 (घ)	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 12 (क)	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 12 (ख)	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 16	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 3/1994

1)	पैरा – 5 (क)	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 9	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 3/2003

1)	पैरा – 8	अनिर्णीत	

2)	पैरा – 9 (i)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 10	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 28	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 31	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 33	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 34	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 35	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 36	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 40	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 44	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 45	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 46	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 48	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 49	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 50	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 51	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 52	अनिर्णीत	

30)	पैरा – 53	अनिर्णीत	
31)	पैरा – 54	अनिर्णीत	
32)	पैरा – 56	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 57(i)	अनिर्णीत	
34)	पैरा – 57(ii)	अनिर्णीत	
35)	पैरा – 58	अनिर्णीत	
36)	पैरा – 64	अनिर्णीत	
37)	पैरा – 65	अनिर्णीत	
38)	पैरा – 65 (i)	अनिर्णीत	
39)	पैरा – 66	अनिर्णीत	
40)	पैरा – 68	अनिर्णीत	
41)	पैरा – 69	अनिर्णीत	
42)	पैरा – 70	अनिर्णीत	
43)	पैरा – 74	अनिर्णीत	
44)	पैरा – 76	अनिर्णीत	
45)	पैरा – 77	अनिर्णीत	
46)	पैरा – 78	अनिर्णीत	
47)	पैरा – 79	अनिर्णीत	
48)	पैरा – 81	अनिर्णीत	
49)	पैरा – 83	अनिर्णीत	
50)	पैरा – 84	अनिर्णीत	
51)	पैरा – 85	अनिर्णीत	
52)	पैरा – 86	अनिर्णीत	
53)	पैरा – 87	अनिर्णीत	
54)	पैरा – 95	अनिर्णीत	
55)	पैरा – 97	अनिर्णीत	
56)	पैरा – 100	अनिर्णीत	
57)	पैरा – 101	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 3/2007

1)	पैरा – 3 (ए)	अंशत निर्णीत	
2)	पैरा – 5 (ए)	निर्णीत	निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(1)-35/99- 5217-20 दिनांक 11.09.2014 द्वारा बेलदारों को नियमित करने को मध्यनजर रखते हुए
3)	पैरा – 5 (बी)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 6 (ए)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 6 (सी)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 6 (एफ)	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 6 (के)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 6 (एल)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 6 (आर)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 6 (एस)	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 6 (यू)	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 6 (वी)	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 7 (ए)	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 7 (सी)	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 7 (डी)	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 7 (एफ)	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 7 (जी)	अंशत निर्णीत	

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2011

1)	पैरा – 5.1	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 6.5.1	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 7	निर्णीत	निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(1)-35/99- 5217-20 दिनांक 11.09.2014 द्वारा बेलदारों को नियमित करने को मध्यनजर रखते हुए

4)	पैरा – 7.2	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 7.3	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 7.4	निर्णीत	श्रीमती मोहिंदर कौर सफाई कर्मचारी की सेवा निवृति व श्रीमती आशा देवी सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने के कारण
7)	पैरा – 7.6	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 8	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 8.1	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 8.3	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 8.5	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 8.6	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 8.7	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 8.8	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 8.10	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 8.10.1	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 8.10.2	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 8.11	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 8.11.2	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 8.11.3	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 9	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 9.1	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 9.2	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 9.3	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 10	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 14.1	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 3/2013

1)	पैरा – 5.1	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 5.2	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 5.4	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 5.5	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 6.6	अंशत निर्णीत	
6)	पैरा – 7	निर्णीत	निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(1)-35/99- 5217-20 दिनांक 11.09.2014 द्वारा बेलदारों को नियमित करने को मध्यनजर रखते हुए
7)	पैरा – 8 (ङ.)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 8.2 (i)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 8.3	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरांत
10)	पैरा – 8.4	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 19	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2015

1)	पैरा – 5.2	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 5.3	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 6.1.2	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 6.3.1	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 7.2	अनिर्णीत	

6)	पैरा – 8	अंशतः निर्णीत	श्री रोबिन शर्मा संविदाकार से ₹4029 की वसूली जी-8 संख्या 27/1506 दिनांक 20.02.24 करने की पुष्टि उपरान्त
7)	पैरा – 8.1	अंशतः निर्णीत	श्री रोबिन शर्मा संविदाकार से ₹18008 की वसूली जी-8 संख्या 27/1506 दिनांक 20.02.24 व श्री महेश कुमार संविदाकार से ₹1000 की वसूली जी-8 संख्या 34/1506 दिनांक 21.02.24 करने की पुष्टि उपरान्त
8)	पैरा – 8.2 (i)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 8.2.2	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 8.2.3	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 8.2.4	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 8.3 (i)	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 8.3 (ii)	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 8.3 (iii)	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 8.4(i)	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 8.4(ii)	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 8.4(iii)	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 8.5	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 8.6	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 8.6(i)	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 8.6(ii)	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 8.6(iii)	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 8.6(iv)	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 8.6(v)	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 8.7	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 8.8	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरांत
27)	पैरा – 8.9	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरांत

28)	पैरा – 8.10	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
30)	पैरा – 12	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 3/2017

1)	पैरा – 7.2	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 7.3	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 8	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 9.2	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 20 (i)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 20 (ii)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 22	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 23	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 24	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 25	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 29 (ग) (i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
16)	पैरा – 29 (ग) (ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
17)	पैरा – 29 (च) (i)	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 29 (च) (ii)	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 29 (छ)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 3/2019

1)	पैरा – 4 (घ)	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 5 (ग)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 8 (क)(ii)	अनिर्णीत	

4)	पैरा – 8 (ख)(ii)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 8 (ङ)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 10	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 17	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
13)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 24	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 3/2021

1)	पैरा – 4.5	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 5.3	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 7 (ग)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 8 (क)(ii)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 8 (ख)(ii)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 8 (ख)(iii)	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 9	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 10	निर्णीत	निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा पत्र संख्या UD-H(B)(7)-1/2006-25808-10 दिनांक 12.12.2016 के अंतर्गत वेतन पुनः निर्धारित होने के कारण

9)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 17 (क)	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 22	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 23	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 24	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 25 (क)	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 25 (ख)	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 25 (ग)	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 26	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 27	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
25)	पैरा – 29 (क)	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 29 (ख)	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 30 (i)	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 30 (ii)	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 30 (iii)	अनिर्णीत	
30)	पैरा – 30 (v)	अनिर्णीत	

(11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 3/2023

1)	पैरा – 4	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 5	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 6 (घ)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 7.2	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 9.3	अनिर्णीत	

6)	पैरा – 9.4	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 10	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 11.1(ii)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 11.1(iii)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 11.2(II)	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 11.5	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 11.6(ii)	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 11.7(I)	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 11.7(II)	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 11.8(I)	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 11.8(II)	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 12(i)	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 13.1	अनिर्णीत	
19)	पैरा –13.2	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 14.1(I),(II)	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 14.3(i),(ii)	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 14.4	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 14.5	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 14.6	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 14.7	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 14.8	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
30)	पैरा – 18(iii)	अनिर्णीत	
31)	पैरा – 18(vi)	अनिर्णीत	
32)	पैरा – 18(vii)	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 18(viii)	अनिर्णीत	

34)	पैरा – 18(ix)	अनिर्णीत	
35)	पैरा – 18(xi)	अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2023 से 3/2024

1)	पैरा –3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹23000 की प्राप्ति की पुष्टि के उपरान्त
2)	पैरा – 4(I)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 4(II)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 5 (घ)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 6 (क)	निर्णीत	अनुदानों की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-8 पर दर्शाई गई।
6)	पैरा – 6 (ख)	निर्णीत	अनुदानों की शेष बची राशि नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-8(क) पर दर्शाई गई।
7)	पैरा – 6 (ग)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 6 (घ)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 7	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 8	स्वतः निर्णीत	
11)	पैरा – 9.1	निर्णीत	गृहकर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-10.1 पर दर्शाई गई।
12)	पैरा – 9.2	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 9.3	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 9.4	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 9.5	निर्णीत	दुकान किराये की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-10.2 पर दर्शाई गई।

16)	पैरा – 9.6	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 9.7	निर्णीत	पैरा नियमानुसार नहीं है।
18)	पैरा – 9.8	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 9.9	निर्णीत	मोबाइल टावर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-10.3 पर दर्शाई गई।
20)	पैरा –9.10	निर्णीत	चूल्हा कर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-10.4 पर दर्शाई गई।
21)	पैरा – 9.11	निर्णीत	घर-घर कूड़ा की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-10.5 पर दर्शाई गई।
22)	पैरा – 9.12	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 9.13(I)	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 9.13(II)	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 9.14(i)	निर्णीत	गली विक्रेताओं की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/24 से 3/25 के पैरा संख्या-10.6 पर दर्शाई गई।
26)	पैरा – 9.14(ii)	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 9.15	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 10	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 10.1	निर्णीत	पैरा नियमानुसार नहीं है।
30)	पैरा – 10.2	निर्णीत	वांछित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त
31)	पैरा – 11.1(1)	अनिर्णीत	
32)	पैरा – 11.1(2)	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 11(2)(I)	अनिर्णीत	
34)	पैरा – 11(2)(II)	अनिर्णीत	
35)	पैरा – 11(2)(III)	अनिर्णीत	

36)	पैरा – 11.3	अनिर्णीत	
37)	पैरा – 11.4	अनिर्णीत	
38)	पैरा – 11.5	अनिर्णीत	
39)	पैरा – 11.6	अनिर्णीत	
40)	पैरा – 11.7	अनिर्णीत	
41)	पैरा – 11.8	अनिर्णीत	
42)	पैरा – 12(i)	निर्णीत	वांछित रजिस्टर की पुष्टि उपरांत
43)	पैरा – 12(ii)	अनिर्णीत	
44)	पैरा – 12(iii)	अनिर्णीत	
45)	पैरा – 12(iv)	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरे (उप पैरों सहित)	317
वर्तमान में लगाए गए पैरे	15
कुल	332
निर्णीत पैरे (उप पैरों सहित)	24
शेष अनिर्णीत पैरे (उप पैरों सहित)	308

परिशिष्ट - (क -1)

पैरा संख्या - 3 से संदर्भित

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा में अवधि 1.04.2024 से 31.03.2025 तक के अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	अवधि	सहायक नियन्त्रक के कार्य दिवस	आर्टिकल सहायक के कार्य दिवस
1	19.06. 25 से 21.06.25	3	3
2	23.06.25 से 28.06.25	6	6
3	30.06.25 से 05.07.25	6	6
	कुल दिवस	15	15

अंकेक्षण शुल्क:-

(1) सहायक नियन्त्रक = 15 x 1000 = 15000

(2) आर्टिकल सहायक = 15 x 800 = 12000

कुल योग = 27000

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

पैरा संख्या- 5 से सम्बंधित

परिशिष्ट - 'ख'

Municipal Council Mehatpur-Basdehra, Distt. Una H.P.

Financial Position for the financial year 2024-25

Head	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Funds Transferred	Closing Balance
Own Source	5241774.87	5086503	1906257.72	12234535.59	3385508	0	8849027.59
Grant-in-Aid	55910528.6	30371970	0	86282498.6	38646267	0	47636231.6
Total	61152303.47	**35458473**	**1906257.72**	**98517034.19**	**42031775**	**0**	**56485259.19**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 5(क) से सम्बन्धित   परिशिष्ट 'ख-1'   63

Municipal Council Mehatpur-Basdehra

Closing Balance Bank Statement as on 31.03.2025

Sr No	Name of Bank	Saving Account No.	Balance
1	HDFC Bank Mehatpur	,50100232228234	14869743.00
2	HDFC Bank Mehatpur	,50100658808580	23430916.64
3	HDFC Bank Mehatpur	,50100028120340	134923.37
4	SBI Mehatpur	55100244785	16360993.64
5	kCCB Mehatpur	20079019863	1239399.80
6	UBI Mehatpur	,392302010009687	208132.00
7	PNB Mehatpur	,0786000100166500	117670.74
8	UCO bank PMAY SNA	,12550110043059	0.00
9	PLA		481.00
	Grand Total		**56362260.19**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una

पैरा संख्या - 5(ख) से सम्बन्धित परिशिष्ट - 'ख-2' (64)

Municipal Council Mehatpur-Basdehra

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.2025

Balance as per Cash Book as on 31.03.2025							56485259.19
Less	Cheque sent to bank but not yet credited by the bank :-						61752
	Sr. No.	Cheque No.	Date	Amount	Name of Bank	Date of Credit	
	1	109039	24.03.25	19600	KCCB Mehatpur	02.04.25	
	2	758589	29.03.25	16232	HDFC Bank Mehatpur	05.04.25	
	3	652889	29.03.25	6480	HDFC Bank Mehatpur	05.04.25	
	4	,000077	29.03.25	19440	HDFC Bank Mehatpur	10.04.25	
			Total	61752			
Less	Cash in Hand			61247		03.04.25	61247
Closing Balance as per Bank as on 31.03.2025							56362260.19

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 6 से सम्बन्धित परिशिष्ट - 'ग'

Municipal Council Mehatpur-Basdehra
Financial Statement of Pension and Gratuity Fund

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	10591355.5	9075440	1275740	20942535.5	1190177.83	19752357.67

Closing Balance Statement of Pension and Gratuity Funds as on 31.03.2025

Sr. No.	Description	Amount
1	PNB Saving A/c No. 078600010173865	1500138.67
2	FDR in PNB No. 902604298	11252219
3	FDR in HDFC No. 50301065305540	7000000
	Total	**19752357.67**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 6.1 से सम्बन्धित

परिशिष्ट - 'ग-1'

Municipal Council Mehatpur-Basdehra

Detail of Investment during the Audit Period 01-04-24 to 31-03-2025

FDR (Pension and Gratuity Fund)

Sr. No.	F.D. No.	Date of Investment	Invested Amount	Date of Maturity	Maturity Amount	Interest to be earned	Rate of Interest	Term/Period	Name of Bank
1	902604298/ 078600PU00054142	28-11-2024	11252219	25-09-2026	12727539	1475320	6.80%	666 days	PNB Mehatpur
2	50301065305540	08-11-2024	7000000	08-10-2027	8655817	1655817	7.35%	35 month	HDFC Mehatpur

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 8 से सम्बन्धित

परिशिष्ट

Municipal Council Mehatpur Basdehra, Distt. Una HP							
Statement of Grant-in-Aid for the year 2024-25							
SN	Name of Grant	Opening Balance	Receipt	Total	Expenditure	Transferred	Closing Balance
1	15th FC Untied Grant	707337.65	3873901	4581238.65	4482799	0	98439.65
2	15th SF/Tied Grant	26502547.40	6039979	32542526.40	6206854	0	26335672.40
3	6th SFC	26199697.55	18718948	44918645.55	26323341	0	18595304.55
4	HFA/PMAY	0.00	1151950	1151950.00	986950	0	165000.00
5	NULM	224822.00	0	224822.00	0	0	224822.00
6	SBM	538633.00	87192	625825.00	47504	0	578321.00
7	DC Grant	746588.00	500000	1246588.00	177021	0	1069567.00
8	VMJS	362560.00	0	362560.00	198314	0	164246.00
9	Covid-19	15000.00	0	15000.00	0	0	15000.00
10	NBFS	30000.00	0	30000.00	0	0	30000.00
11	MMSAGY	-169725.00	0	-169725.00	0	0	-169725.00
12	Park	280706.00	0	280706.00	223484	0	57222.00
13	Parking	184646.00	0	184646.00	0	0	184646.00
14	IDSMT	193716.00	0	193716.00	0	0	193716.00
15	SDRF/NDRF	94000.00	0	94000.00	0	0	94000.00
	Total	**55910528.60**	**30371970.00**	**86282498.60**	**38646267.00**	**0.00**	**47636231.60**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या- 8 (क) व (ख) से सम्बन्धित

Municipal Council Mehatpur Basdehra, Distt. Una HP, Statement of Grant in Aid for the year 2024-25

Sr No.	Head	Name of Sanctioning Authority	Letter No.	Purpose	Opening Balance	Amount received	CB Page No.	Date of credit in Bank	Total	Expenditure	Transfer Funds	Balance	UCC Sent or Not
1	15th FC/Untied Grant	Director UD	UD-H(C)(10)-3/2020-II-4906-4972 dtd. 04/06/2024	Eighteen functions enshrined		3873901	165	03-06-2024 SBI					UCC Sent
				Total	707337.65	3873901			4581238.65	4482799	0	98439.65	
2	15th FC/Tied Grant	Director UD	UD-H(C)(10)-3/2020-II-4973-5040 dtd. 04-06-2024	Water Management, Solid Waste Management		5810852	165	03-06-2024 SBI					UCC Not Send
		Director UD	UD-H(C)(17)-13/2020-CB-21349-410 dtd. 03-10-24	Water Management, Solid Waste Management		229127	195	SBI 28.10.2024					UCC Not Send
				Total	26502547.4	6039979			32542526.4	6206854	0	26335672.4	
3	6th SFC	Director UD	UD-H(C)(10)1/2024-SFC award-8533-8594 dtd. 20/07/2024	Salary,Sanitation,Hon. Of Elected Rep. and any infrastructural work		4679737	173	18-07-2024 SBI 18-07-2024 HDFC					UCC Sent
		Director UD	UD-H(C)(10)1/2024-SFC award-26285-346 dtd. 19/10/2024	Salary,Sanitation,Hon. Of Elected Rep. and any infrastructural work		4679737	195	07-10-24 HDFC					UCC sent
		Director UD	UD-H(C)(10)1/2024-SFC award-10286-347 dtd. 24/03/2025	Salary,Sanitation,Hon. Of Elected Rep. and any infrastructural work		4679737	249	19-03-2025 HDFC					UCC not send
		Director UD	UD-H(C)(10)1/2024-SFC award-11506-566 dtd. 08/04/2025	Salary,Sanitation,Hon. Of Elected Rep. and any infrastructural work		4679737	249	27-03-2025 HDFC					Ucc not send
				Total	26199697.55	18718948			44918645.55	26323341	0	18595304.55	
4	HFA/ PMAY	Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		329500	175	Apr. 2024 Uco Bank					UCC Sent
		Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		154750	181	Aug. 2024 Uco Bank					UCC Sent
		Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		37700	187	Sep. 2024 Uco Bank					UCC Sent
		Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		249500	195	Oct. 2024 Uco Bank					UCC Sent

		Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		75500	203	Nov., 2024 Uco Bank					UCC Sent
		Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		270000	209	Dec., 2024 Uco Bank					UCC Sent
		Director UD	Through SNA A/c	HFA/PMAY		35000	249	Mar. 25 Uco Bank					
				Total	0	1151950			1151950	986950	0	165000	
5	NULM				224822				224822	0	0	224822	
6	SBM	Director UD	Funds transferred from SNA A/c	SBM		87192	249	Mar. 25 Uco Bank					UCC Sent
				Total	538633	87192			625825	47504	0	578321	
7	DC Grant	DE Una (DPO)	PLG Una(VIIVNP)-Una-2024-25-652-54 dtd. 07-09-24	C/o Community Hall near Shiv Mandir in ward No. 8		500000	193	03-10-2024 HDFC					UCC Not send
				Total	746588	500000			1246588	177021	0	1069567	
8	VMJS				362560	0			362560	198314	0	164246	UCC sent
9	Covid-19				15000	0			15000	0		15000	
10	NBFS				30000	0			30000	0	0	30000	
11	MMSAGY				-169725	0			-169725	0	0	-169725	
12	Park				280706	0			280706	223484	0	57222	UCC Not sent
13	Parking				184646	0			184646	0	0	184646	
14	IDSMT				193716	0			193716	0	0	193716	
15	SDRF/NDRF				94000	0			94000	0	0	94000	
				Grand Total	55910528.6	30371970			86282498.6	38646267		47636231.6	

Certified that credit of Grants is checked in cash book as well as in pass book.

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

68

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा

परिशिष्ट- 'ड.'

पैरा संख्या-10.1 से संदर्भित

गृहकर

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली गई राशि	छूट	दिनांक 31.03.25 तक वसूली हेतु शेष राशि
2024-25	37039176	2556872	39596048	1142315	144473	38309260

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

House Tax Statement 2024-25

Ward No	Balance As on 31-03-2024	Demand 2024-25	Collection 2024-25	Rebate 2024-25	Balance As on 31-03-2025
1	25,65,622	3,64,278	3,33,388	37,168	25,59,344
Ins Area	2,02,22,521	9,61,755	90,913	3,978	2,10,89,385
2	45,71,822	4,40,637	3,09,913	40,109	46,62,437
3	5,00,471	1,42,596	1,20,672	24,356	4,98,039
4	2,86,160	28,377	20,206	3,740	2,90,591
5	12,18,076	1,62,672	1,08,700	19,036	12,53,012
6	14,64,679	1,07,886	1,04,261	9,412	14,58,892
7	1,12,249	22,421	36,907	2,848	94,915
8	1,45,273	13,771	8,459	1,922	1,48,663
9	2,44,758	26,061	8,896	1,904	2,60,019
Brickillian	57,07,545	2,86,418	-	-	59,93,963
Total	3,70,39,176	25,56,872	11,42,315	1,44,473	3,83,09,260

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद परिषद्
मैहतपुर-बसदेहड़ा
जिला ऊना (हि॰प्र॰)

पैरा संख्या - 10 (ii) से सम्बंधित परिशिष्ट - 'ड-1' (72)

Municipal Council Mehatpur-Basdehra, Distt. Una H.P.

List of Major defaulters of House Tax as on 31.03.2025

Sr. No.	Name of Assessee	Ward No.	Page No.	House Tax No.	Amount Ouststanding as on 31.03.2025
1	Arya ENT Hospital	1	1	1	177016
2	Sh. Tirloki Nath s/o Sh. Som Nath	1	2	12	95065
3	Sh. Tirth Ram s/o Sh. Mansa Ram	1	2	14	258862
4	Smt. Suman Dewett w/o Sh. Tarsem La	1	3	15	194400
5	BSNL Mehatpur	1	6	40	635772
6	MIA DAV Public School Mehatpur	1	6	41	271482
7	Sh. Jatinder Kumar,Rahul Kumar	1	10	68	200070
8	Sh. Sansar Chand s/o Dass ram	2	27	24	105198
9	Sh. Jawal Ram s/o Dass Ram	2	27	25	91423
10	Sh. Hazari Lal s/o Dass Ram	2	27	26	89424
11	Sh. Sat Pal	2	28	32	89910
12	Sh. Rahul Sharma s/o Sh. Sham Lal	2	28	34	90867
13	Sh. Arjun Singh s/o Dass Ram	2	29	42	96764
14	Sh. Sagli Ram s/o Sh. Brahma Nand	2	33	64	109214
15	Chandigarh Marriage Palace	2	37	94	242747
16	Sh. Ram Saroop & Bros s/o Sh. Hazari Lal	2	37	97	743163
17	Smt. Ram Piari w/o Sh. Data Ram & others	2	37	98	281549
18	Menon Hotel Mehatpur	2	45	151	123651
19	Sh. Harminder Singh s/o Sh. Harnam Singh	2	60	255	112860
20	Smt. Seema Devi w/o Sh. Ravi Kumar	3	66	29	74497
21	Sh. Jagat Ram s/o Sh. Babu Ram	3	66	30	54856
22	Sh. Dharam Pal s/o Sh. Dhani Ram	3	67	42	52745
23	Sh. Ramesh Chand s/o Sh. Munshi Ram	4	71	6	54501
24	Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Kishori Lal	4	74	27	38000
25	Smt. Oma Devi w/o Sh. Hussan Lal	4	75	34	36475
26	Sh. Davinder Kant s/o Sh. Ram Nath	5	80	23	30914
27	Sh. Sawaran Singh s/o Sh. Nanak Singh	5	84	50	81191
28	Sh. Ram Avtar & Bros. s/o Sh. Hazari Lal	5	87	74	135540
29	Sh. Rahul Sharma s/o Sh. Sham Lal	5	87	77	49296
30	Sh. Kamaljeet, Pawan Kumar	5	90	97	169393
31	Sh. Bakhtaber Singh s/o Sh. Hans Raj	6	94	6	41982
32	Sh. Jagdish Ram s/o Sh. Durga Dass	6	95	10	95381
33	Sh. Shankar Dass	6	95	12	117640

34	Sh. Bhabhishan Singh s/o Udham Singh	6	96	18	39330
35	Sh. Shiv Kumar s/o Sh. Joginder Lal	6	97	22	62100
36	Smt. Nirmala Devi w/o Sh. Joginder Lal	6	97	23	110214
37	Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Joginder Lal	6	97	24	249571
38	Smt. Kamla Devi w/o Sh. Balbir Chand	6	98	34	91850
39	Syasa Electrods	8	112	12	45254
40	Sh. Lekh Raj	9	122	1	604083
41	Shiwalik Bricks Co.	9	122	2	604083
42	Bharat Bricks	9	122	4	109361
43	Sarvodhya Gram Udyog	9	122	5	499931
44	Suraj Bricks Gram Udyog	9	122	6	604083
45	Shiv Shakti Gram Udyog	9	122	7	604083
46	Sutluj Bricks Gram Udyog	9	122	8	604083
47	Aggarwal Bricks Co.	9	123	9	109361
48	Gupta Bricks Co.	9	123	10	604083
49	Balaji Bricks Co.	9	123	11	604083
50	Bhardwaj Gram Udyog	9	123	12	364532
51	Jaya Bricks	9	123	13	604083
				Total	11556016

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh & Distt. Una (H.P.)

Municipal Council Mehatpur-Basdehra, Distt. Una H.P.

List of Major defaulters of Industries area House Tax as on 31.03.2025

Sr. No.	Name of Assessee	Ward No.	Page No.	House Tax No.	Amount Ouststanding as on 31.03.2025
1	M/S Ranger Brewries PVt Ltd Plot No-1	1	13	1	5266890
2	M/S Ranger Brewries PVt Ltd Plot No-130	1	13	1	2825218
3	Extol Chemicals	1	17	52	731335
4	Anuj Industries	1	17	53	555981
5	Punjab Leminates Pvt.Ltd	1	21	91	757712
6	Sarswati Cables & Allied Industries	1	21	94	705415
	Total				**10842551**

Grand Total (11556016 + 10842551) = 22398567

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 10.2 से सन्दर्भित

परिशिष्ट - च

MUNICIPAL COUNCIL MEHATPUR BASDEHRA

STATEMENT OF SHOP RENT 2024-2025

YEAR	O.B.	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	OUTSTANDING BALANCE
2024-25	13,45,862	8,64,121	22,09,983	9,24,677	12,85,306

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

कार्यकारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
मेहतपुर-बसदेहड़ा
जिला ऊना (हि०प्र०)

पैरा संख्या- 10.3 से सम्बन्धित परिशिष्ट - 'ई'

Municipal Council Mehatpur Basdehra, Distt. Una HP

Statement of Mobile Towers outstanding amount for the year 2024-25

Sr. No.	Name of Company	Opening Balance	Demand	Total	Receipt	Closing Balance
1	Reliance Infocom Ltd.	134695	0	134695	0	134695
2	Bharti Infratel Ltd.	25000	0	25000	0	25000
3	Viom Networks (Tata Teleservices)	79065	0	79065	0	79065
4	SDO (Mobile) BSNL	64065	0	64065	0	64065
5	Bharti Infratel Ltd.	28125	0	28125	0	28125
6	Vodaphone Essar Spacetel Ltd.	45000	0	45000	0	45000
7	M/s Dishnet Wireless Ltd.	68750	0	68750	0	68750
8	M/s Reliance Jio Infocom Ltd.	0	0	0	0	0
9	Indus Tower Ltd.	0	0	0	0	0
	Total	444700	0	444700	0	444700

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 10.5 से सम्बन्धित

परिशिष्ट - 'ग' (77)

Municipal Council Mehatpur Basdehra
Statement Of Chulla Tax

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Closing Balance
2024-25	191500	0	191500	0	191500

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh & Distt. Una (H.P)

पैरा संख्या - 10.5 से सम्बन्धित परिशिष्ट - इ

Municipal Council Mehatpur Basdehra

Statement of Door to Door Collection for the Year 2024-25

Sr No.	Head	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Balance
1	House Hold	1310330	782590	2092920	795650	1297270
2	Shops	1564520	686250	2250770	316020	1934750
Total		**2874850**	**1468840**	4343690	**1111670**	**3232020**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

Municipal Council Mehatpur Basdehra

Statement of Door to Door Collection for the Year 2024-25

Sr No.	Head of Shops	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Balance
1	Shops (Daily needs,Cloths)	468550	259900	728450	87820	640630
2	work Shop	67800	28800	96600	4350	92250
3	Bank	141500	42000	183500	47000	136500
4	Banquet Hall	6850	12000	18850	14350	4500
5	Clinic	138870	68700	207570	39200	168370
6	Hospital	48000	12000	60000	0	60000
7	Labortary	94150	30000	124150	5250	118900
8	Sweet Shop	31450	21600	53050	7300	45750
9	Meat Shop	46650	12000	58650	1100	57550
11	Restarants +Bars	15850	14400	30250	14900	15350
12	Dhabba	88860	26800	115660	9950	105710
13	Bakers/Large Shop	101480	57250	158730	36500	122230
14	Pvt.School	68340	18000	86340	8700	77640
15	Govt.School	9200	2400	11600	0	11600
16	Veg Shop	8850	6000	14850	3950	10900
17	Office (2 Rooms) Marriage Bureau and SBI Branch Office	4800	2400	7200	0	7200
18	Industry Unit (3 to 5 Room)	189670	60000	249670	31800	217870
19	Snacks	33650	12000	45650	3850	41800
20	House Hold	1310330	782590	2092920	795650	1297270
Total		**2874850**	**1468840**	**4343690**	**1111670**	**3232020**

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh. & Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 10.6 से सम्बन्धित   परिशिष्ट - अ   80

Municipal Council Mehatpur Basdehra

Statement Of Street Vendors

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Balance
2024-25	16700	9000	25700	2000	23700

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh & Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट- (ट)

पैरा संख्या- 13.2 से संदर्भित

नगर परिषद मैहतपुर- बसदेहड़ा में विभिन्न संविदाकारों को निम्नलिखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों में Providing and laying cement concrete 1:2:4 (1cement:2 sand:4 graded stone aggregate) की निष्पादित मात्रा जिसको providing and fixing of pavers blocks 80mm/60mm/22mm की मात्रा से न घटाने के कारण अधिक भुगतान ₹48374 का विवरण :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	Providing and laying cement concrete pavers blocks 80mm / 60mm/ 22mm की मात्रा	Providing and Laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा	Providing and Laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा जिसे Providing and layig cement concrete pavers blocks से घटाया जाना अनिवार्य था	दर	अधिक भुगतान

पैरा संख्या - 17 (ii) से सम्बन्धित   परिशिष्ट - 'ठ'   (84)

नगर परिषद मैहतपुर में श्रमकर के रूप में कटौती को श्रमकर विभाग में जमा न करवाने का विवरण:-

नगर परिषद मैहतपुर में अवधि 1.04.2024 से 31.03.2025 तक विभिन्न संविदाकारों के बिलों से श्रमकर के रूप में की गई कटौती को श्रम विभाग में जमा न करवाने का विवरण :-

क्रम संख्या	अवधि	राशि
1	1.04.2024 से 30.06.2024	34483
2	1.07.2024 से 30.09.2024	38148
3	1.10.2024 से 31.12.2024	19322
4	1.01.2025 से 31.03.2025	28122
	योग	120075

RAJ KUMAR
Assistant Controller
H.P. State Audit Department
SHIMLA-9

Executive Officer
Municipal Council
Mehatpur-Basdehra
Teh & Distt. Una (H.P)